

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
अधिसूचना

संख्या _____ दिनांक

राज्य सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम सं० 27) की धारा 30 के साथ पठित उपधारा (3)की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित नियमावली का निर्माण करती है जिसका नाम सूक्ष्म, लघु उद्यम, फ़ैसिलिटेशन कौंसिल नियमावली 2007 (एम०एस०ई० एफ०सी०) होगा । इस कौंसिल का मुख्यालय उद्योग विभाग, विकास भवन, पटना मे अवस्थित होगा। उद्योग निदेशक पूरे राज्य में उक्त नियमावली (एम०एस०ई० एफ० सी०) का कार्यान्वयन करेंगे।

1. नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार।

- (i) यह नियमावली सूक्ष्म, लघु उद्यम, फ़ैसिलिटेशन कौंसिल नियमावली 2007 कही जा सकेगी
- (ii) यह नियमावली तुरत प्रवृत्त होगा ।
- (iii) इस नियमावली का विस्तार पूरे राज्य में होगा ।

2. परिभाषा:

इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

- (क) अधिनियम से अभिप्रेत है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 (2006 का 27)
- (ख) “धारा”- से अभिप्रेत है अधिनियम की कोई धारा;
- (ग) आरबिट्रेशन एण्ड कौंसिलियेशन (Arbitration and Conciliation Act) अधिनियम से अभिप्रेत है आरबिट्रेशन एवं कौंसिलियेशन (Arbitration and Conciliation Act) अधिनियम 1996 (1996 का 26) (Arbitration and Conciliation Act 1996)
- (घ) कौंसिल (Council) से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 20 के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित सूक्ष्म, लघु, उद्यम फ़ैसिलिटेशन कान्सिल (M.S.E.F.C.)
- (ङ) “संस्था” (Institute) से अभिप्रेत है ऐसी संस्था या केन्द्र जिसका उल्लेख अधिनियम की धारा 18 की उप धारा (2) एवं (3) में किसी विवाद को सुलझाने में अपना सेवा देना है;
- (च) अध्यक्ष (Chairperson) से अभिप्रेत है कौंसिल का अध्यक्ष जिनकी नियुक्ति अधिनियम की धारा 21 की उप धारा (1) के अन्तर्गत की जाती है

- (छ) “सदस्य” (Member) से अभिप्रेत है कॉन्सिल का सदस्य;
- (ज) “सरकार” (Government) से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;
- (झ) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए हैं।

3. कॉन्सिल का गठन (Constitution of Council)

कॉन्सिल का गठन निम्नांकित सदस्यों से होगा :-

- (I) उद्योग निदेशक, बिहार, पटना अध्यक्ष
- (II) संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस0बी0आई0), सदस्य
पटना
- (III) अध्यक्ष, बिहार, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज सदस्य
- (IV) अध्यक्ष, बिहार इन्डस्ट्रीज एसोसियेशन सदस्य
- (V) अपर सचिव/संयुक्त सचिव/ प्रतिनिधि विधि सचिव सदस्य (जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का न हो)

4. सदस्यों का कार्यकाल :-

अध्यक्ष को छोड़कर बाकी सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतया दो वर्षों की होगी जैसा कि अधिनियम में उल्लिखित है।

- (I) जब किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या वह त्याग पत्र दे देता है या यह समझा जायेगा कि उसने त्यागपत्र दे दिया है या उसे पद से हटा दिया गया है अथवा कार्य करने में असमर्थ हो गया है तो राज्य सरकार उस रिक्ति को भरने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक व्यक्ति नियुक्त कर सकेगी।
- (II) कोई भी सदस्य, अध्यक्ष को छोड़कर, अपनी नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों से अधिक समय तक पद पर नहीं रहेगा।
- (III) कोई भी सदस्य, जो अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) के शर्त (Clause)(II) एवं (III) के अन्तर्गत उन दायित्वों का निर्वहन करेगा, जिनके लिए उनकी नियुक्ति की जाती है।
- (IV) कॉन्सिल का कोई भी सदस्य अपने पद से एक माह पूर्व लिखित सूचना सरकार को देकर त्याग पत्र दे सकता है।

सदस्यों के त्याग पत्र को स्वीकृत करने का अधिकार सरकार को होगा।

- (V) सरकार किसी भी सदस्य को निम्नांकित कारणों से पद मुक्त कर सकती है।
- (क) अगर कोई सदस्य मानसिक रूप से किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकलांग(Unsound) घोषित किया गया हो।
- (ख) यदि सदस्य दिवालिया (Bankrupt or insolvent) हो।
- (ग) यदि किसी न्यायालय द्वारा इन्डियनपिनल कोड(Act XLV of 1860)के अन्तर्गत सजायापत्ता हो।
- (घ) कॉन्सिल की तीन लगातार बैठकों में बिना अध्यक्ष की अनुमति से अनुपस्थित रहने पर।
- (ङ.) कॉन्सिल के सदस्य के रूप में किसी प्रकार के लोभ या लालच से प्रभावित हो कर कार्य करने पर।

5. कॉन्सिल के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन प्रक्रिया:-

अधिनियम के अधीन गठित समिति का प्रथम कार्य होगा क्रेता और विक्रेता के बीच आपसी समझौता द्वारा विवाद का निपटारा करना। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो आर्बिट्रेशन एण्ड कॉन्सिलिएशन अधिनियम 1996(1996 का 26) (Arbitration and Conciliation Act 1996) के अनुसार एक पंच (Arbitrator) के रूप में कार्य करते हुए विवाद का निपटारा करेंगे।

- (I) सामान्यतया कॉन्सिल की बैठक के लिए सात दिन पूर्व सूचना निर्गत की जाएगी लेकिन यदि अध्यक्ष द्वारा किसी मामले पर अविलम्ब विचार करने की आवश्यकता समझी जाती है तो कम अवधि पर भी बैठक आयोजित करने की सूचना दी जा सकती है।
- (II) आर्बिट्रेशन एण्ड कॉन्सिलियेशन अधिनियम 1996 की धारा 26 के अन्तर्गत कॉन्सिल एक या दो विशेषज्ञों की सेवा उक्त कार्य के लिए ले सकती है।
- (III) आर्बिट्रेशन एण्ड कॉन्सिलियेशन अधिनियम 1996 की धारा 27 के अन्तर्गत कॉन्सिल या विवादित पार्टी कॉन्सिल के अनुमोदनोपरान्त कोर्ट में साक्ष्य के लिए सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन दे सकता है।
- (IV) संदर्भित आवेदन-पत्र जो असंतुष्ट सूक्ष्म, लघु उद्यम आपूर्तिकर्ता द्वारा दिया जायेगा उसमें पूर्ण विवरण होना चाहिए यथा आपूर्तिकर्ता की स्थिति

आपूर्ति किया गया वस्तु या सेवा भूगतान की शर्त यदि कोई इस प्रकार की समझौता क्रेता और विक्रेता के बीच हो । वास्तविक भुगतान प्राप्ति एवं तिथि भुगतान हेतु लम्बित राशि सूद सहित जो अधिनियम की धारा 16 के अधीन हो । साक्ष्य के रूप में शपथ-पत्र तथा आवश्यक कोर्ट फीस तथा स्टाम्प शुल्क के साथ आवेदन दिया जायेगा । अध्यक्ष द्वारा इसके अतिरिक्त भी कोई सूचना जिसकी आवश्यकता महसूस हो और जिसका सम्बन्ध वाद से हो की माँग की जा सकती है । यदि आवेदक उक्त कागजात, साक्ष्य, सूचना आदि माँगे जाने पर पन्द्रह दिनों के अन्दर नहीं उपलब्ध कराते है तो अध्यक्ष को पर्याप्त कारण होगा कार्यवाही को स्थगित करने तथा आवेदक को नया आवेदन पत्र दायर करने का आदेश देने का । साथ ही इसकी एक प्रति क्रेता को उपलब्ध कराया जायेगा जिसके विरुद्ध आदेश निर्गत किया गया है ।

- (V) आवेदक द्वारा कॉन्सिल में आवेदित आवेदन पत्र के लिए पावती रसीद दिया जायेगा । यदि आवेदन पत्र निबन्धित डाक द्वारा प्राप्त होता है तो इसका भी पावती रसीद भेजा जायेगा । अध्यक्ष क्रेता को आवेदन पत्र के सम्बन्ध में विस्तृत प्रतिवेदन 15 दिनों के अन्दर कॉन्सिल को उपलब्ध कराने का या पर्याप्त कारणों से अगर तिथि बढ़ाई जाती है तो समय सीमा के अन्दर उपलब्ध कराने का निदेश दे सकते है ।
- (VI) अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त होने पर कॉन्सिल के अध्यक्ष आवेदन के कारणों तथा क्रेता द्वारा दिये गये जबाब की जाँच करेंगे और यह पाये जाने पर, कि मामला विलम्बित भुगतान का है तो इसे कॉन्सिल की अगली बैठक में विचार करने हेतु उपस्थापित करने का आदेश देगे । अध्यक्ष यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक आवेदन पिछले बैठक से सप्ताह के अन्दर प्राप्त हुए है, यदि आवेदन पत्र नियमानुकुल पाया जाता है तो इसे कॉन्सिल की अगली बैठक में विचारार्थ रखा जायेगा ।
- (VII) कॉन्सिल स्वयं या किसी संस्था/केन्द्र जो विवाद को सुलझाने में मदद करे की सहायता प्राप्त कर सकती है । आर्विट्रेशन एण्ड कॉन्सिलियेशन अधिनियम की धारा 65 से 81 तक के सभी प्रावधान विवाद सुलझाने में संदर्भ के लिए उपयोग किया जायेगा ।
- (VIII) कॉन्सिल या संस्था जो विवाद सुलझाने के लिए संदर्भित है के द्वारा क्रेता तथा विक्रेता को नोटिस भेजकर उपस्थित होने का निदेश दिया जायेगा । उभय पक्षों के उपस्थित होने पर कॉन्सिल या संस्था सर्वप्रथम दोनो पक्षों में समझौता कराने का प्रयत्न करेगी । संस्था 15 दिनों में अपना प्रतिवेदन कॉन्सिल को देगा ।

- (IX) यदि संदर्भित विवाद का निपटारा नहीं हो पाता है तो कौन्सिल स्वयं एक पंच(Arbitrator) के रूप में वाद के अन्तिम निपटारा हेतु कार्य करेंगे या संस्था; (Institute) को निपटारा हेतु आर्बिट्रेशन एण्ड कौन्सिलियेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के आलोक में सौंप देगा । क्रेता और विक्रेता स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उक्त न्यायालय में अपनी उपस्थिति कार्यवाही के क्रम में दर्ज करायेंगे । संस्था अपना प्रतिवेदन कौन्सिल को निर्धारित समय में सौंपेगी ।
- (X) कौन्सिल का कोई भी निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर होगा ।
- (XI) कौन्सिल का कोई भी पंचाट;(arbitral award) आर्बिट्रेशन एण्ड कौन्सिलियेशन एक्ट 1996 की धारा 31 के अनुसार निर्धारित समय में धारा 18 के उप धारा (5) के अनुसार होगा । पंचाट प्रासंगिक नियम से आक्षादित (stamped) होगा पंचाट की प्रति सम्बन्धित पार्टियों को सात दिनों के अन्दर आवेदन पत्र देने पर उपलब्ध करा दिया जायेगा ।
- (XII) अधिनियम का प्रावधान धारा 15 से 23 तक तबतक प्रभावी रहेगा जबतक किसी न्यायालय द्वारा इसे अनुपयुक्त न माना जाय ।

6. कौन्सिल की बैठक ।

कौन्सिल की तीन माहों में एक बैठक अपने कार्यों को सम्पादित करने के लिए किया जायेगा ।

7. कोरम

कौन्सिल की बैठक के लिए अध्यक्ष एवं दो सदस्य के उपस्थित होने पर कोरम पूरा माना जायेगा ।

8. क्षेत्र (Jurisdiction)

कौन्सिल का क्षेत्र पूरे बिहार राज्य में होगा । कौन्सिल के सदस्यों को कोई टी0ए0 अनुमान्य नहीं होगा ।

9. कौन्सिल का अध्यक्ष; (Chairman of the Council)-

कौन्सिल के अध्यक्ष कौन्सिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे तथा उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्ति उक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे ।

10. सदस्य सचिव (Member Secretary)

कौन्सिल के सदस्य सचिव एक पंजी का संधारण करेंगे जिसमें सभी मामलो के सम्बन्ध में भुगतान आदि संधारित रहेगा । इसके अतिरिक्त सूक्ष्म, लघु उद्यम

फैसिलिटेशन कौन्सिल (M.S.E.F.C) से सम्बन्धित कार्य जो अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर निदेशित होगा, का निष्पादन करेंगे ।

11. विवाद निपटारा हेतु आवेदित आवेदन के लिए शुल्क (Fee for processing the application for settling the dispute)

कोई भी आवेदक जो कौन्सिल में विवाद निपटारा हेतु आवेदन देगा, उन्हें आवेदन पत्र के साथ शुल्क के रू० 500/-या 0.25 प्रतिशत राशि जो विवादित मामले में सन्निहित हो, जिसकी अधिकतम सीमा 5000/-रू०(पाँच हजार)जो अधिक हो आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा ।

12. नियम को संशोधित करने की शक्ति. (Power to amend the rules)

राज्य सरकार को उक्त नियम को या इसके किसी प्रावधानों को समय -समय पर संशोधित करने या प्रतिस्थापित करने का अधिकार होगा ।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति बिहार गजट के विशेष अंक, सुविख्यात पत्रिकाओं और समाचार-पत्रों में प्रकाशित की जाय और सरकार के सभी विभागों/ विभागाध्यक्षों और अधीनस्थ पदाधिकारियों के बीच परिचालित की जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-
(एस० विजयराघवन)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक-3008 पटना, दिनांक-25.09.2007

प्रतिलिपि: अनुलग्नक सहित: अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के विशेष अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि इसकी 1000 प्रतियाँ भी विभाग को उपलब्ध करावें।

ह०/-
(एस० विजयराघवन)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक-


3008

पटना

25.9.07

प्रतिलिपि:-अनुलग्नक सहित सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/वाणिज्य-कर आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग/प्रबंधक निदेशक, उद्योग विभाग के अधीन सभी निगम/बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना/अध्यक्ष, बिहार विद्युत पर्षद पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिलापदाधिकारी/सभी उप-विकास आयुक्त/महाप्रबंधक, सभी जिला उद्योग केन्द्र/ निदेशक, तकनीकी विकास/निदेशक, उद्योग/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/निदेशक सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान, पाटलीपुत्र कॉलोनी, पटना/ मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



(एस विजयराघवन) 25.9.07

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।